जमदीश बनाम कौशिक

दफा :- 01/2023

6/4/23। पत्रावली पेश हुई वकील वादी एवं वकील वादी द्वारा आरोपित तक पूर्व की आदेशिका की पालना नहीं की गई है। वकील वादी द्वारा न्यायालय आदेश कि अवहेलना कि गई। वकील वादी या वाद 09/22 में खारिज किया जाता है। पत्रावली दफ्तर से बन्द होकर दाखिल दफ्तर। निर्णय आज दिनांक 06/04/2023 को कर इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय